

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जमपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ. 3(ग)/ए.सी.पी./आक्षेप/अलेसे-ग/2376

दिनांक:- 02.02.18

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-ग के प्रथम/द्वितीय/तृतीय एसीपी स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में पायी गई कमियों का उल्लेख संबंधित के नाम के सामने अंकित आक्षेप के कॉलम में किया गया है:-

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट नं.	आक्षेप
1.	शंकर दास सिंधी	405/88	आवेदन निर्धारित प्रपत्र में नहीं है।
2.	राजेन्द्र सुथार	129/88	आवेदन निर्धारित प्रपत्र में नहीं है।
3.	नन्दलाल लोहारिया	230/81	वर्ष 2000-01 से 2006-07 तक तथा 2008-09 की एपीएआर अप्राप्त है।
4.	बजरंग लाल मोदी	349/94	वर्ष 2004-05 से 2010-11 तक एवं 2016-17 की एपीएआर अप्राप्त है।
5.	मुकेश चन्द वर्मा	301/88	वर्ष 2012-13 से 2014-15 की एपीएआर अप्राप्त है।
6.	नन्दकिशोर शर्मा	865/86	वर्ष 2006-07, 2007-08, 2009-10 से 2014-15 तक की एपीएआर अप्राप्त है।
7.	सोहन सिंह चौहान	112/88	वर्ष 2012-13, 2014-15 से 2016-17 तक की एपीएआर अप्राप्त है एवं आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं है।
8.	हरीश कुमार कुमावत	254/88	वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की एपीएआर अप्राप्त है।
9.	महावीर प्रसाद मोदी	158/88	वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक की एपीएआर अप्राप्त है।
10.	अभय कुमार संचेती	347/88	वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2011-12 की एपीएआर अप्राप्त है।
11.	यशपाल सिंह	133/88	वर्ष 2010-11, 2011-12, 2013-14 की एपीएआर अप्राप्त है।
12.	हमीद अली कुरैशी	128/88	वर्ष 2010-11, 2013-14 से 2016-17 तक की एपीएआर अप्राप्त है।
13.	सुरेन्द्र कुमार गुप्ता	624/88	वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक की एपीएआर अप्राप्त है।
14.	रघुवीर सिंह	215/88	वर्ष 2009-10, 2010-11, 2016-17 की एपीएआर अप्राप्त है।
15.	बनवारी लाल	534/88	वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक की एपीएआर अप्राप्त है।
16.	राजकुमार यादव	265/88	वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक की एपीएआर अप्राप्त है।
17.	बाबूलाल पुरोहित	356/88	वर्ष 2011-12, 2014-15 से 2016-17 तक की एपीएआर अप्राप्त है।
18.	परमेश्वर लाल	243/88	वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की एपीएआर अप्राप्त है।

उपर्युक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-ग के आवेदन पत्रों में पाई गई कमियों की पूर्ति कर इस कार्यालय को सूचित करावें तथा जिन कार्मिकों को एसीपी दिनांक 01.01.2016 के पश्चात् देय है, वे पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में वेतन स्थिरीकरण के पश्चात् प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा को शीघ्र प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे ताकि एसीपी स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(अरविन्द वर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)

क्रमांक:- एफ. 3(ग)/ए.सी.पी./आक्षेप/अलेसे-II/ 2376

दिनांक:- 02.02.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष
2. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II
3. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट) हेतु।
4. सहायक निदेशक (एपीएआर) अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्मिकों बकाया अवधि की एपीएआर प्राप्त होने पर एपीएआर रिपोर्ट इस अनुभाग को शीघ्र प्रेषित करावें।
5. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)